पत्रांक-6/अ-7-69/2002 30.68 /

झारखंड-सरकार
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखंड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,
सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक -

विषय:- झारखंड राज्य के अर्न्तगत संचालित निजी विधालयों को सी०बी०एस०ई०नई दिल्ली से संबंधन हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अर्न्तगत संचालित किड्स गार्डेन, झरिया, धनबाद को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एंव बन्धेजों के अधीन अस्थायी रुप से अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है ।

1. विधालय की वर्त्तमान में लीज पर प्राप्त भूमि को विधालय प्रबंधन उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार छः माह के अन्दर क्रय कर लेगी ।

उपर्युक्त शर्त्तों एंव बन्धेजों के अतिरिक्त विभागीय आदेश संख्या-1055 दिनांक-5.9.2001 के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों एंव बन्धेजों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

1. विधालय की वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि वह प्रमाणित हो सके कि विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विधालय के विकास में किया जायेगा । विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एंव भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3. विधालय को शहरी क्षेत्र में 2(दो) एकड़ एंव ग्रामीण क्षेत्र में 4 (चार) एकड़ भूमि विधालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30(तीस) वर्षों के निबंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार

क्र०पृ०उ०

को सुरक्षित होगा ।

4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रुप से होनी चाहिये

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।

6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट ~~xxxx~~ नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।

7. विद्यालय का कार्यकलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये ।विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, बैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धक, शारीरिक एंव व्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रयास करना होगा ।

8. विद्यालय में छात्रों की समुचित संख्या एंव उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।

9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया , कर्मियों की संख्या, योग्यता एंव नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी ।

10. विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन प्रोग्राम तथा एन०सी०सी०, एन०एस०एस० स्काउट एंव गाईड आदि को सुचारु रुप से करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक-5. 9. 2001 के अनुसार शर्त्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

13. उपर्युक्त शर्त्तों एंव बन्धेजों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एंव अभिलेखों का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र को वापस ले सकती है ।

कृ०पृ०उ०

*8. ~~विद्यालय xxxx उपर्युक्त शर्तों एंव बन्धेजों का अनुपालन करना होगा~~

15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्त्तों एवं बन्धेजों को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा ~~xxxxxx~~ माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बंधित संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगें उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्त्तों का ~~xxx~~ उलंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, राँची

ज्ञापांक- 3000 /राँची, दिनांक - 11.12.04

प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, राँची

ज्ञापांक- 3000 /राँची, दिनांक - 11.12.04

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, राँची

14/12/04